न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 55/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. गोविन्द प्रसाद पुत्र मोतीलाल जिंदल उम्र 45 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स गोविन्द किराना स्टोर, नदबई रोड, हलैना जिला भरतपुर निवासी नदबई रोड हलैना जिला भरतपुर।
2. आदेश कुमार जैन पुत्र रमेशचन्द जैन (प्रोपराइटर) मैसर्स पी.के. एजेन्सीज, कुम्हेर रोड, कटरा, नदबई जिला भरतपुर।
3. योगेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह (प्रोपराइटर) मैसर्स मलिक ब्रोदर्स, पुराना पता–सम्पला रोड, पौरव वाटिका वाली गली, पीर बाबा की दरगाह के पास, खारखोडा–131402 (सोनीपत) हरियाणा हाल पता– वार्ड नं. 9, बोराना रोड, पीर बाबा की दरगाह के पास, खारखोडा – 130402 (सोनीपत) हरियाणा

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) धारा 51 एवं 54 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :
1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायलान संख्या 1 लगा0 3

निर्णय

दिनांक : 28.01.2022

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) धारा 51 एवं 54 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 15.06.2021 को प्रस्तुत किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 28.01.2022 को गैरसायलान स्वयं उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 17.02.2021 को दोपहर बाद 01.00 बजे गैरसायलान की प्रतिष्ठान मैसर्स गोविन्द किराना स्टोर, नदबई रोड, हलैना का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण / जांच गैरसायलान की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये रैक में 200 मिली. वजनी पैकिंग के 14 मूल सील्ड पैक घी (डेयरी नाइस ब्राण्ड) रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 160 / एक्ट / 2021 / 337 दिनांक 08.03.2021 द्वारा उक्त घी (डेयरी नाइस ब्राण्ड) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का घी (डेयरी नाइस ब्राण्ड) का उपयोग करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) धारा 51 एवं 54 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायलान संख्या 1 लगायत 3 का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायलान की दुकान मैसर्स गोविन्द किराना स्टोर, नदबई रोड, हलैना से घी (डेयरी नाइस ब्राण्ड) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायलान के द्वारा उक्त घी (डेयरी नाइस ब्राण्ड) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त घी (डेयरी नाइस ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायलान द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायलान की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायलान भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायलान की यह प्रथम गलती है इसलिये गैरसायलान के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 17.02.2021 को दोपहर बाद 01.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायलान की दुकान पर आम जनता के विक्रय हेतु घी (डेयरी नाइस ब्राण्ड) 200 मिली. वजनी पैकिंग के 14 मूल सील्ड रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/160/एक्ट/2021/337 दिनांक 08.03.2021 के द्वारा उक्त घी (डेयरी नाइस ब्राण्ड) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Moisture Contents% By weight का मानक Max.=0-50% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 0.16% पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। इसी प्रकार Reichert- Meissel value का मानक Not less than=28.0 होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 14.30 पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। दौराने सुनवाई गैरसायलान के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायलान को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के आधार गैरसायलान संख्या 1 गोविन्द प्रसाद एवं गैरसायलान संख्या 2 आदेश कुमार जैन 5000–5000 रूपये (पांच–पांच हजार रूपये) तथा गैरसायलान संख्या 3 योगेन्द्र कुमार पर 25000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर